न्यूज डायरी

हाईकोर्ट ने शारदा घोटाले के आरोपी सुदीप को जमानत दी

नवभारत ब्यूरो। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। लगभग 12 साल 11 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद, शारदा समूह के प्रमुख सुदीप सेन को आखिरकार सभी मामलों में जमानत मिल गई है। बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य पुलिस द्वारा दर्ज अंतिम दो शेष मामलों में भी उनकी जमानत मंजूर कर ली। इस फैसले के साथ ही अब सुदीप सेन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। विशेष रूप से, राज्य में होने वाले आगामी चुनावों से ठीक पहले यह घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। न्यायालय के सूत्रों के अनुसार, 2013 में शारदा घोटाला सामने आने के बाद से ही सुदीप सेन जेल में बंद थे।

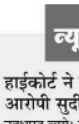

'वंदे मातरम्' गाने से कांग्रेस की महिला पार्षद के इनकार पर विवाद

इंदौर (मध्यप्रदेश)। ए। इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन के दौरान बुधवार को कांग्रेस की एक महिला पार्षद के इस्लामी मान्यताओं का हवाला देते हुए राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। नगर निगम के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार कर दिया। इससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद भड़क गए और उन्होंने सभापति मुन्नालाल यादव की आसंदी के पास पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति ने फौजिया को सदन से बाहर चले जाने के निर्देश दिए। कांग्रेस पार्षद ने संवाददाताओं से कहा कि उनका मजहब इस्लाम उन्हें 'वंदे मातरम्' गाने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि उन्हें एक नागरिक के तौर पर संविधान के तहत प्राप्त धार्मिक आजादी हासिल है और कोई भी व्यक्ति उन्हें 'वंदे मातरम्' गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

खून से लथपथ मिला भाजपा कार्यकर्ता का शव

कोलकाता। ए। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। इस बीच यहां के पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में बुधवार की शाम भाजपा के एक कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया। बता दें कि यह हादसा भाजपा की मेगा चुनावी रैली से 24 घंटे से भी कम समय पहले देखने को मिला है। पीएम मोदी कल इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मृत भाजपा कार्यकर्ता की पहचान महादेव विस्वास के रूप में हुई है। उनका शव शाम को हल्दिया के बालूघाट क्षेत्र में हल्दी नदी के किनारे से बरामद किया गया। कार्यकर्ता का शरीर खून से लथपथ था और उस पर कई चोटों के निशान थे। उसकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह हत्या का मामला है।

राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज। ए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2025 में कथित विवादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।

बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पटना से दिल्ली तक घमासान

15 अप्रैल के आसपास मिल सकता है बिहार को नया सीएम

बिहार में भाजपा नहीं लेना चाहती है कि किसी नये चेहरे पर जोखिम लेने के बजाय सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए। पार्टी का मानना है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव है और वे गठबंधन की राजनीति में बेहतर तालमेल स्थापित करने की क्षमता रखते हैं।

नवभारत नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली। पटना से दिल्ली तक बिहार की सियासत में इन दिनों मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान मचा है। इसी बीच भाजपा के अंदरखाने से यह संकेत उभरकर सामने आ रहे हैं कि पार्टी इस बार नया प्रयोग करने के बजाय उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही भरोसा जता सकती है।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, बीते कई दिनों से इस मुद्दे पर पटना और दिल्ली में शीर्ष नेताओं के बीच लगातार मंथन चल रहा है। पार्टी ने विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन अंततः यह राय बनी कि किसी नए चेहरे पर जोखिम लेने के बजाय सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए। पार्टी का मानना है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव है और वे गठबंधन की राजनीति में बेहतर तालमेल स्थापित करने की क्षमता रखते हैं।

सूत्रों का यह भी कहना है कि भाजपा नेतृत्व प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ जमीनी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहा है। बैठकों और व्यक्तिगत मुलाकातों के जरिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रायशुमारी की जा रही है, ताकि अंतिम निर्णय व्यापक सहमति के साथ लिया जा सके।

दूसरी ओर, जेडीयू खेमे से भी इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी के नाम पर कोई विशेष आपत्ति नहीं है। हालांकि उनके सलाहकारों ने सुझाव दिया है कि पहले मंत्रालयों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाई जाए, उसके बाद ही नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़े। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वे 9 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद ही वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर अंतिम फैसला लेंगे। हालांकि, भाजपा नेतृत्व इस मामले में अधिक देरी के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अंदरखाने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया जल्द ही अंतिम रूप ले सकती है।

इंदिरा की भरोसेमंद, हारीं फिर भी बनीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष

मोहसिना किदवई ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खरगे के खिलाफ थरूर का रखा था प्रस्ताव

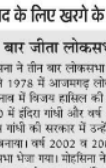

स्मृति शेष

बाराबंकी/नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष मोहसिना किदवई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थीं। गांधी परिवार के साथ उनके प्रगाढ़ संबंधों का ही प्रमाण है कि पार्टी के सबसे कठिन दौर में भी वह उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं।

1977 के आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनावों में जब उत्तर भारत से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और मोहसिना खुद भी चुनाव हार गईं, तब भी इंदिरा गांधी ने उन पर अटूट विश्वास जताते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। मोहसिना ने इस भरोसे को सही साबित किया और 1978 के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में 40 हजार वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी। उनकी सक्रिय राजनीति का अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव अक्तूबर 2022 में देखने को मिला। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ शशि थरूर के नामांकन का प्रस्ताव रखा और उनका समर्थन किया था। एक जनवरी 1932 को बाराबंकी में जन्मीं मोहसिना की शादी 1953 में मसौली के बड़ागांव निवासी पूर्व विधायक जमील उर रहमान के बेटे खलील उर रहमान किदवई से हुई थी। जमील के पंडित जवाहर लाल नेहरू से अच्छे ताल्लुकात थे। 1970 में मोहसिना को पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। इससे पहले वह सोशल वर्कर थी। इसके बाद उन्होंने 1974 में बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं।

तीन बार जीता लोकसभा चुनाव

मोहसिना ने तीन बार लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने 1978 में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में विजय हासिल की। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी और वर्ष 1984 में राजीव गांधी की सरकार में उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया। वर्ष 2002 व 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। मोहसिना ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स भी लिखी है। वह विरली महिला थी, जो चारों सदनों में सदस्य बनीं।

कोठी में है कांग्रेस का कार्यालय : मोहसिना की बापबेकी सिथित लाइन स्थित कोठी में मौजूदा समय में कांग्रेस का कैंप कार्यालय संचालित हो रहा है। उनका अपने मायके और ससुराल अक्सर आना-जाना लगा रहता था। वह लंबे समय से परिवार के साथ नोएडा में रह रही थीं।

कांग्रेस को समर्थन का संदेश! हुमायूं कबीर ने वापस लिया नामांकन

मुर्शिदाबाद के चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर

नवभारत ब्यूरो। कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुर्शिदाबाद जिले के राजनीतिक मानचित्र पर एक अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निष्कासित और नवनिर्मित 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के संस्थापक हुमायूं कबीर ने अचानक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगामी चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय के कारण मुर्शिदाबाद जिले की कई सीटों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी दरार पड़ सकती है।

मुर्शिदाबाद की दो सीटों से थी लड़ने की तैयारी : चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और भरतपुर–इन दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा से ठीक पहले, उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का फैसला किया। इस घोषणा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में भाजपा और तृणमूल के एकाधिकार को रोकने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। उनका मानना है कि यदि धर्मनिरपेक्ष वोट विभाजित होते हैं, तो इसका सीधा लाभ सत्ताधारी दल या भगवा खेमे को मिल सकता है।

वाम-कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है फायदा

हुमायूं कबीर के इस फैसले से मुर्शिदाबाद का राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदल गया है। एक समय तृणमूल के महत्वपूर्ण नेता और पूर्व विधायक के रूप में इस जिले में उनका काफी प्रभाव रहा है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर उनकी पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। इससे पहले उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत भी दिए थे। लेकिन अंतिम क्षणों में कांग्रेस को समर्थन देने के उनके संदेश ने वाम-कांग्रेस गठबंधन को नई ऊर्जा प्रदान की है

फैसले खेमे ने किया स्वागत

हालांकि, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इस घटनाक्रम को विशेष महत्व नहीं दे रही है। पार्टी के जिला नेतृत्व का दावा है कि हुमायूं कबीर के पार्टी छोड़ने के बाद अब उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। नामांकन वापस लेकर वे वास्तव में अपनी हार की ग्लानि से बचना चाह रहे हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस खेमे ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि शासन के प्रति जनता में जो आक्रोश पनप रहा है, वह इस बार मतपेटियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे

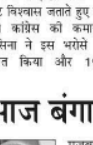

कोलकाता। ए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान को तेजी प्रदान करते हुए हल्दिया, आसनसोल और सिउरी में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव स्थलों का चयन भाजपा के उस प्रयास को रेखांकित करता है जिसके तहत वह उन क्षेत्रों में अपना समर्थन मजबूत करना चाहती है जहां उसने बड़ी अहद्ता हासिल की है। पार्टी साथ ही साथ सत्ता रूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। भाजपा द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मोदी अपनी पहली रैली सुबह 9:30 बजे पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया कस्बे में संबोधित करेंगे। इसके बाद वह दोपहर में आसनसोल के पोलो ग्राउंड स्थित आउटडोर स्टेडियम में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। तीसरी जनसभा दोपहर दो बजे श्रीरामपुर जिले के सिउरी कस्बे के चांदमारी मैदान में आयोजित की जाएगी। हल्दिया को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और यह राज्य में भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। पार्टी ने 2021 के चुनावों में पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट में से आठ पर जीत हासिल की थी।

नीतीश कुमार कल राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ: मंत्री

पटना। ए। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कुमार बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जदयू नेता ने कहा, 'राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री अब संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वह कल (दिल्ली के लिए) रवाना होंगे और उसके अगले दिन शपथ ग्रहण करेंगे।' राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर सवाल किए जाने पर चौधरी ने कहा, 'यह उचित समय पर होगा।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
CHHATTISGARH GRAMIN BANK

SCHEDULED BANK OWNED BY GOVERNMENT.

क्षेत्रीय कार्यालय : प्रिंस रेस्टोरेंट के बाजू में, गंजपारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491001,
Regional Office: Beside Prince Restaurant, Ganjpara, Durg (C.G) - 491001, Ph. No. 6233032195
Email: adv.ro.dur@crgb.bank.in | Website: www.crgb.bank.in

नीलामी सूचना (जहाँ है जैसा है स्थिति में)

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा जब्त किए गए निम्नलिखित वाहन की नीलामी 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर दर्शायी गई तिथि एवं स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	शाखा	ऋणी का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन क्र.	आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, बोली वृद्धि राशि (रु. में)	अवलोकन हेतु स्थान (पार्क)
1)	भिलाई-03	श्रीमती शोभा साहू पति श्री कृष्णा कुमार साहू	ERTIGA Smart Hyond VXI (O)	CG07 CT8147 Registration Date 03.08.2024	रु. 6,66,000/- रु. 66,600/- रु. 5000	ग्राम – मोहलाई, जिला-दुर्ग

1. नीलामी हेतु निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। 2. शाखा का नाम, वाहन क्र., वाहन प्रकार स्पष्ट रूप से लिखकर बोली राशि अंकों एवं शब्दों में लिखकर स्वयं के पहचान पत्र की फोटो कॉपी संलग्न कर निम्नांकित में प्रस्तुत करें। 3. **धारण अमानती राशि 66,600/- (रुपये तिरेसठ हजार छ सौ मात्र)** छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के पक्ष में ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। 4. सफल निविदाकर्ता को 25% राशि तत्काल जमा करना होगा 5. शेष 75% राशि नीलामी तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा जमा की गई राशि जप्त कर ली जाएगी। **6. बंद लिफाफे में निविदा दिनांक 23.04.2026 के अपरान्ह 02.00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में जमा की जा सकती है। निविदा अपरान्ह 03.00 बजे खोली जाएगी। नीलामी स्थल - छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, स्वेल सिंह पेट्रोल पम्प के सामने, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)**

प्राधिकृत अधिकारी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- दुर्ग, (छ.ग.)

बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज

केदारनाथ। ए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने मौसम की चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं और धाम व पैदल मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

फॉर्म नं. 4
(नियम 5 के उप-नियम (2ए) देखें)
अधिनियम की उपधारा 19 के तहत समन, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पढ़ा जाए।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), पोस्ट ऑफिस के पास, रेसिडेंसी रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482001
केस संख्या ओए/ संख्या 632/2025
पंजाब नेशनल बैंक .....आवेदक
बनाम
'मे'. सम्यक एग्रो इंडस्ट्रीज .....बचाव पक्ष

(1) मेसर्स सम्यक एग्रो इंडस्ट्रीज
द्वारा प्रोपराइटर, पता :- ख. न. 295/5, ग्राम मोतूर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)
(2) श्रीमन कुमार जैन पिता श्री कैलाश चंद जैन
पता - बार्ड नंबर 5, अनाज लाइन, सुपेला मार्केट, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
(3) राजेश जैन पत्नी श्री श्रीमन जैन
पता :- 130, अनाज लाइन, सुपेला मार्केट, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

जबकि, ओए/संख्या 632/25 माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी 26/06/25 जबकि माननीय न्यायाधिकरण ने निदेश दे कि अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत आपके विरुद्ध दायर उक्त आवेदन (ओए) पर **R s . 3,89,74,036.07/-** रूपये के ऋण की वसूली हेतु व्यय एवं भविष्य के ब्याज सहित समनसूचना जारी की जाए।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं

1. समन की तामील के तीस दिनों के भीतर बताएं कि यदि नहीं यहां उपस्थित क्यों नहीं दी जानी चाहिए। **2.** मूल आवेदन के क्रमांक 2ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करना। **3.** आपको मूल आवेदन के 2ए के तहत प्रकट की गई सूचीबद्ध संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों के निपटान से रोका जाता है जब तक कि संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान नहीं हो जाता, **4.** बिक्री पढ़े या अन्यथा के माध्यम से अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर उन संपत्तियों में से किसी को भी हस्तांतरित नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित बनाया गया है और/या अन्य संपत्तियों और संपत्तियां मूल आवेदन के क्रमांक 2ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई न्यायाधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, **5.** अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित परिसंपत्तियों या अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब देने और ऐसी परिसंपत्तियों और सुरक्षा हित रखने वाले किसी या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गये खाते में ऐसी बिक्री आय जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, **6.** आपको लिखित बयान की एक प्रति भी दी जाती है जो आवेदक की उपलब्ध कराई गई है और आपको दिनांक 24/04/2026 को 10:30 बजे उपस्थित होना है। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर रजिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई की जाएगी।

इस पर मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के साक्ष्य यह दिया जाता है। दिनांक 01/04/2026
न्यायाधिकरण के आदेश से
मुहर
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण

फॉर्म नं. 4
(नियम 5 के उप-नियम (2ए) देखें)
अधिनियम की उपधारा 19 के तहत समन, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए) के साथ पढ़ा जाए।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), पोस्ट ऑफिस के पास, रेसिडेंसी रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश 482001
केस संख्या ओए संख्या 621/2025
पंजाब नेशनल बैंक .....आवेदक
बनाम
त्रिवेणी मेटालिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड .....बचाव पक्ष

1. त्रिवेणी मेटालिक इंडस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा **मैनेजिंग डायरेक्टर**
पता- एनआईजी ग्रुपहेवन 101, फेज-4 वकील नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492099
(2) श्री सत्येंद्र कुमार पांडेय
पता- प्लॉट नंबर B-7, ख. नं. 328/30 प.ह.नं.100/28, मेटल पार्क फेज-1, रायपाटा, रायपुर (छ.ग.)
(3) श्री विनय प्रकाश मिश्रा पिता श्री जगदीश मिश्रा
पता- प्लॉट नंबर B-7, ख. नं. 328/30 प.ह.नं.100/28, मेटल पार्क फेज-1, रायपाटा, रायपुर (छ.ग.)
(4) चन्द्र मणी पांडेय पिता श्री श्याम शंकर पांडे
पता- 992, नंजय नगर, वार्ड क्रमांक 6, कुन्दारी, बेलतरा (छ.ग.)
(5) नरेन्द्र कुमार पांडेय पिता श्री त्रभुवन राय
पता- मकान नंबर 306, विंग गार्डेनिए गली, सीता नगर, रायपुर (छ.ग.)
(7) मनोज कुमार मिश्रा पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्रा
पता- एनआईजी ग्रुपहेवन 101, फेज-4 वकील नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492099

जबकि, ओए/संख्या 621/25 माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी 26/06/25 जबकि माननीय न्यायाधिकरण ने निदेश दे कि अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत आपके विरुद्ध दायर उक्त आवेदन (ओए) पर **R s . 2,81,20,170.94/-** रूपये के ऋण की वसूली हेतु व्यय एवं भविष्य के ब्याज सहित समनसूचना जारी की जाए।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं।

1. समन की तामील के तीस दिनों के भीतर बताएं कि यदि नहीं यहां उपस्थित क्यों नहीं दी जानी चाहिए। **2.** मूल आवेदन के क्रमांक 2ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करना। **3.** आपको मूल आवेदन के 2ए के तहत प्रकट की गई सूचीबद्ध संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और संपत्तियों के निपटान से रोका जाता है जब तक कि संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान नहीं हो जाता, **4.** बिक्री पढ़े या अन्यथा के माध्यम से अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर उन संपत्तियों में से किसी को भी हस्तांतरित नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित बनाया गया है और/या अन्य संपत्तियों और संपत्तियां मूल आवेदन के क्रमांक 2ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई न्यायाधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, **5.** अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित परिसंपत्तियों या अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्रय आय का हिसाब देने और ऐसी परिसंपत्तियों और सुरक्षा हित रखने वाले किसी या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गये खाते में ऐसी बिक्रय आय जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, **6.** आपको लिखित बयान की एक प्रति भी दी जाती है जो आवेदक की उपलब्ध कराई गई है और आपको दिनांक 24/04/2026 को 10:30 बजे उपस्थित होना है। अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर रजिस्ट्रार के समक्ष सुनवाई की जाएगी।

इस पर मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के साक्ष्य यह दिया जाता है। दिनांक 01/04/2026
न्यायाधिकरण के आदेश से
मुहर
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण

pnb पंजाब नैशनल बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 28.04.2026
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

विशेष असिधियों के प्रतिभूतिकरण व पूर्वनिर्माण तथा मुरझा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-नीलामी सूचना मुरझा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ मुरझित लेनदार के पास बंधक है एवं के प्रश्चित अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक /सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की बिक्रय "जहाँ है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमों में वर्णित तिथि में बैंक/मुरझित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारों से वसूली के लिए किया जा रहे है। अरक्षित मूल्य तथा ब्याना राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त ब्यौरें नहीं है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसुची

क्र.	स्थावरक का नाम / उधारकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सांकेतिक/ धारा 2020 के नियम 12(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / ईमानी (लाख में) / बोली वृद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये
1	उधारकर्ता-1) श्रीमती मयता शर्मा पति श्री आर. के. शर्मा, उधारकर्ता- 2) मेसर्स आई केमिस्ट प्रोप.- उर्वी शर्मा एवं जमानतदार: श्रीमती मयता शर्मा पति स्व. आर. के शर्मा, शाखा: पंडरी, रायपुर 152250, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी, 7632986606	आवासीय मकान - प्लाट नंबर 209, खसरा नंबर 376/1 का भाग, म्यूटेशन के बाद पृष्ठ: ब्राह्मणिया खसरा नंबर 376/115, प.ह. नंबर 104/57, कुशल नुहा निर्माण सहकारी समिति, भौजा-रायपुरा, आरआईसी- रायपुर, तहसील एवं जिला-रायपुर (छ.ग.) में **क्षेत्रफल -5575 वर्गफीट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक: श्रीमती मयता बाजपेयी पिता श्री के.एन. बाजपेयी, सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नं 210, दक्षिण: प्लॉट नं 208, पूर्व: सड़क, पश्चिम: आशेष सोनावाड़ी/गौरीशंकर निर्माणाधीन. 21.231636, 81.598693. **नोट: उधारकर्ता-1 के लिए:-** *यह अचल संपत्ति निम्नलिखित खाते में भी बंधक है : 1) मेसर्स आई केमिस्ट, प्रोपराइटर - उर्वी शर्मा का नगद कर्ज खाता क्रमांक - 152520070000448 एवं सावधि ऋण खाता क्रमांक 152520CN00000022, इन खातों में कुल बकाया राशि रु. 65,62,850.34 (रुपये पैंसठ लाख बासठ हजार आठ सौ पचास व बीसैसे पैसे मात्र) + दिनांक 14.08.2024 से बकाया एवं अन्य शुल्क. 2) उर्वी शर्मा एवं मयता शर्मा (सह-आवेदक) का ऋण खाता क्रमांक 152520ND00000030 में बकाया राशि रु 18,42,277.50 (रुपये अट्ठारह लाख बयालीस हजार दो सौ सत्तहत्तर व पचास पैसे मात्र) + दिनांक 25.11.2024 से बकाया एवं अन्य शुल्क. - **नोट: उधारकर्ता-2 के लिए:-** *यह अचल संपत्ति निम्नलिखित खातों में बंधक है : उर्वी शर्मा (सह-आवेदक) का ऋण खाता क्रमांक 152520ND00000030 में बकाया राशि रु. 18,42,277.50 (रुपये अट्ठारह लाख बयालीस हजार दो सौ सत्तहत्तर व पचास पैसे मात्र) + दिनांक 31.07.2024 से बकाया एवं अन्य शुल्क. 2) उर्वी शर्मा एवं मयता शर्मा (सह-आवेदक) का ऋण खाता क्रमांक 152520CN00000022 में बकाया राशि रु. 18,42,277.50 (रुपये अट्ठारह लाख बयालीस हजार दो सौ सत्तहत्तर व पचास पैसे मात्र) + दिनांक 25.11.2024 से बकाया एवं अन्य शुल्क.*	उधारकर्ता-1 के लिए: 1) 14.08.2024 2) रू 31,43,025.66 + दिनांक 14.08.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 17.12.24 को सांकेतिक कब्जा उधारकर्ता-2 के लिए: 1) 14.08.2024 2) रू 65,62,850.34 + दिनांक 14.08.2024 से ब्याज प्रभावी 3) 17.12.24 को सांकेतिक कब्जा	रू 261.11 लाख रू 26.11 लाख
2	उधारकर्ता: श्री राम प्रसाद बघेल पिता स्वर्गीय राम बघेल, जमानतदार: श्री राम कुमार बघेल श्री राम भजन बघेल, श्री अमर लाल बघेल, श्री आर लाल बघेल एवं श्रीमती रेखा बघेल, शाखा- कवर्